should know at every moment, at every time or at some interval of time what the latest progress on that is. Let the whole country know that we have reached that stage or that we arc marching forward or we arc not marching forward. The impression, that there is any lacuna or any sort of less effort on the part of the Government, should not remain in the minds of the people. There has been progress, but it is the fault of my Ministry that I have not been able to inform the House regularly *on* this. I think, during the quesiton-answer session, the Home Minister had mentioned some progress while answering some quesitons which were raised by the hon. Members, If the hon. Member, Surcshji, recollects,—I was also sitting here at that time—some supplementaries were also answered. I assure the House that I will come soon with the latest progress, how much we have achieved.

So far as the Jain Commission is concerned, last time, the quesiton was raised about the extension of the tenure of the Jain Commission. The Government had extended it. There is no question of not giving full support to the Jain Commission. The Government is keen to find out the culprits. The Government is keen to find out the criminal organisation....(/n-*teruptions)*....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish. Let him finish, please....*{Interruptions)*.... Mr. V. Narayanasamy, you are impatient, but let the Minister answer, please....*{Interruptions).* Please let him answer.

SHRI RAJESH PILOT: Madam, if there is any such feeling that there is some act somewhere, I will cartainly come to the House and clarify everything,

how it has happened, but let me once again assure the House that we are equally concerned, we are having the same feeling, and we will certainly bring the total facts to the House, what the progress has been and what we are going to do in the future and we shall leave no stone unturned till we catch those culprits who have taken away Rajivji from us.

So far as the second point regarding the movie is concerned, as Upendraji said, I really do not have the total facts with me but I will inform my colleague, who is heading the Information and Broadcasting Ministry, that this is the feeling of the House, and request him to inform the House of how this film was cleared, how the Board of Film Certification had cleared it. I will convey the feeling to the Ministry concerned and my colleague.

(ends)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Subramanian Swamy, who is no more a Member of this House, used to raise this issue regarding the Jain Commission and catching the culprits almost every day, one very occasion. Dr. Jagannath Mishra.

Re. Violation by Bihar Govcrmcnt of Supreme Copurt Direction On "Creamy Ieavcr"

डा० जगन्नाथ मिश्र (बिहार): उपसभापति महोदया, मैं एक अत्यंत ही संवेदनशील और लोक महत्व के विषय पर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और वह है उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो 16 नवम्बर, 1992 को हुआ था मंडल आयोग की अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने के संबंध में। भारत सरकार ने 10 सितम्बर, 1993 को एक अधिसूचना जारी कर दी जो आदेश उनको उच्चतम न्यायालय की ओर से दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने अपने 16 नवम्बर, के फैसले में केन्द्र और राय सरकारों को हिदायत दी थी, निर्देश दिया था कि इस निर्णय के 6 महीने के भीतर सभी राज्य सरकारें जहां आरक्षण पहले से लागू है या जहां आरक्षण अब से लागू होगा वे पिछड़े वर्गों को विभक्त करें मलाईदार परत, क्रीमी लेयर में, पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग में। इसके लिए 6 महीने का समय दिया गया था। भारत सरकार ने क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति भी बनाई थी। उस समिति ने अपनी अनुशंसा दी और उस अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार ने 10 सितम्बर को अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकारों को भी 6 महीने के भीतर अर्थात् 16 मई, 1993 तक पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण,

क्रीमी लेयर, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में करना चाहिये था।

विभिन्न राज्य सरकारों ने समय सीमा के भीतर इस वर्गीकरण को पूरा नहीं किया। अभी हाल में बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय और भारत सरकार का जो निर्णय 10 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना में घोषित है, उसके विरुद्ध उन्होंने पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण, क्रीमी लेयर किया है। महोदया, यह बड़ा हास्यास्पद है। उच्चतम न्यायालय की जो दृष्टि है या बाबा साहब अम्बेडकर ने 30 नवम्बर, 1948 को जब संविधान सभा में धारा 10 पर बहस हो रही थी उस बहस के दौरान कहा था कि इन विशेष वर्गों को आरक्षण देने के यह मायने नहीं है कि केवल जाति ही उनका आधार होगा। पिछड़ी जातियों में जो जातियां है या उन जातियों में जो लोग उन्नत हो गये हैं, विकसित हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, सरकारी सेवाओं में आ गए हैं उन लोगों के लिए यह नहीं है बल्कि जो पिछड़े वर्गों में अछूतों तबका है और जो 16 अनुच्छेद के उपभाग 4 में कहा गया है:

"....not adequately represented in the services under the State."

यही मूल मापदण्ड था। उसी को परिभाषित करते हुए डा० अम्बेडकर ने भी कहा था कि पिछड़ी जातियों में जो लोग ऊपर चले आए, वे सामान्य कोटि में चले जाएं और पिछड़े वर्गों की वे जातियां और उन जातियों के वे लोग जो मुख्य धारा में नहीं आ सके हैं, उन्हीं के लिए आरक्षण किया जाए। इसी उद्देश्य से जब भारत सरकार ने 25 सितम्बर, 1991 को अधिसूचना जारी की थी उसमें वी०पी० सिंह सरकार की 10 अगस्त की अधिसूचना को परिमार्जित किया गया था। उसमें उन्होंने कहा था कि 27 प्रतिशत आरक्षण हम पिछड़े वर्गों के लिए देंगे लेकिन हम प्राथमिकता देंगे उनमें से गरीब पिछड़ों को, अत्यंत पिछड़ों को। उसे ही परिभाषित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की आरक्षण की सीमा से, आरक्षण की योग्यता? से क्रीमी लेयर को अलग कर दिया जाए। दूसरा यह कि पिछड़ी जातियों को और दो भागों में बांटा जाए—पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इस 27 प्रतिशत का वितरण उनकी आबादी के हिसाब से करें तभी सामाजिक न्याय हो सकेगा या संविधान निर्माताओं ने जिस उद्देश्य से यह प्रावधान किया था उसकी पूर्ति हो सकेगी। हमें अफसोस होता है कि भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को संभवतः सही स्प्रिट में आंका नहीं है चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इनके 25 सितम्बर, 1991 की मान्यता तभी है जब वे इसे परिभाषित कर दें कि पिछड़े वर्गों में वे प्राथमिकता किन्हें दें—अत्यंत पिछड़ों को और गरीब पिछड़ों को, और वह भारत सरकार ने अभी तक परिभाषित नहीं किया है। भारत सरकार ने केवल क्रीमी लेयर को परिभाषित किया है। लेकिन जो दूसरी बात कही थी उच्चतम न्यायालय ने—गरीब पिछड़े और अत्यंत पिछड़े - उसी भी परिभाषा होनी चाहिए।

महोदया, चूंकि कल्याण मंत्री जी यहां उपस्थित हैं उनसे खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि मंडल आयोग में एक एल०आर० नायक सदस्य थे। उन्होंने अपनी विमति टिप्पणी में बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा है।

> "मध्य वर्गीय पिछड़ा वर्ग उस पिछड़े वर्ग पर हावी बना हुआ है जो अत्यंत पिछड़ा एवं गरीब है। इस गरीब एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की दशा हरिजन, आदिवासी एवं अन्य दलितों जैसी बना दी गई है। मध्य वर्गीय पिछड़ा वर्ग के लोगों का यह समूह जिनका राजनीतिक। आर्थिक और प्रशासनिक प्रभाव निरंतर बढ़ता गया है और वे गरीब एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को दबा कर रखना चाहते हैं"

इसलिए नायक ने अनुशंसा की थी कि 27 प्रतिशत आरक्षण को इन वर्गों में बांटा जाए और 15 प्रतिशत को अत्यंत पिछड़ों और गरीब पिछड़ों के लिए तथा 12 प्रतिशत मध्य वर्गीय पिछड़ों को दिया जाए। उनकी टिप्पणी इतनी स्पष्ट थी। संभवतः उसी दृष्टि से, उसी पृष्ठभूमि में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में इन बातों का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारत सरकार के 25 सितम्बर, 1991 के संलेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है—

> "Clause (i) of the Office Memorandum dated September 25, 1991 requires -- to uphold its validity -- to be read, interpreted and understood as intending a distinction between backward and made backward classes on the basis of degrees of social back-wardncss and a rational and equitable distribution of the benefits of the reservations amongst them. To be valid, the said clause will have to be read, understood and implemented accordingly."

यह स्पष्ट आदेश है भारत सरकार को उच्चतम न्यायालय की तरफ से। किन्तु कल्याण मंत्रालय ने इसे विलक्षणता से देखा नहीं है, जो आपने 10 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना जारी की है उनमें आपने इन वर्गों को संरक्षण देने की बात नहीं कही है। आपको भी 6 महीने के भीतर परिभाषित कर देना था क्रीमी लेअर, पिछड़ा, अत्यन्त पिछड़ा। चूंकि भारत सरकार ने इसे अभी तक परिभाषित नहीं किया, अतः हम निवेदन करना चाहेंगे कि भारत सरकार इसे परिभाषित करे।

दूसरा क्रीमी लेयर की जो परिभाषा अभी बिहार सरकार ने की है उसने भारत सरकार की स्पिरिट, मंडल आयोग की अनुशंसाओं की स्पिरिट और उच्चतम न्यायालय के आदेश का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया गया है। उन्होंने क्रीमी लेअर को इस रूप में परिभाषित किया है जिसकी आमदनी 10 लाख से ज्यादा हो और जिसकी संपत्ति 20 लाख से ज्यादा हो और ऐसे प्रथम श्रेणी के आफिसर जिनकी पत्नी भी ग्रेजुएट हो, वही क्रीमी लेअर में आएंगे। 20 लाख की आमदनी जिस किसी व्यक्ति की है वह किस मापदंड से, मंडल आयोग के मापदंड से, डा० अंबेडकर के मापदंड से, उच्चतम न्यायालय के मापदंड से कभी पिछड़ा नहीं हो सकता है जिसकी आमदनी दस लाख है और उसके पास संपत्ति बीस लाख की है। दूसरी शर्त प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी पर लगाई है। अगर उनकी बीवी भी ग्रेजुएट नहीं हो तो वे पिछड़ी श्रेणी के पदाधिकारी पर लगाई है। अगर उनकी बीवी भी ग्रेजुएट नहीं तो वे पिछड़ी श्रेणी में नहीं माने जा सकते हैं। इसका असर क्या पड़ेगा कि कोई भी प्रथम वर्ग का आफिसर किसी ग्रेजुएट महिला से शादी नहीं करना चाहेगा या कोई भी मां-बाप अपनी बेटी को ग्रेजुएट नहीं करना चाहेगा। अगर वह ग्रेजुएट हो जाएगी तो आरक्षण से उसके बेटे-बेटियां वंचित हो जायेंगे। ऐसा प्रतिगामी निर्णय बिहार सरकार ने लिया है और सारे आरक्षण के उद्देश्य को उन्होंने प्रतिगामी कर दिया है और वह केवल इसलिए किया है कि मध्यवर्गीय वर्गों में जो सुखी-सम्पन्न हैं, जिनका वर्चस्व राजनीति में है, सामाजिक जीवन में है, उनके समर्थन से वे अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए बिहार सरकार ने जो उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार के आदेश के विरुद्ध फैला लिया है भारत सरकार इसे गंभीरता से ले और हम सब निवेदन करना चाहेंगे कि जो क्रीमी लेअर, बैकवर्ड, अत्यन्त बैकवर्ड को आप एक राष्ट्रीय मापदंड बना कर सभी राज्यों को दीजिए। पहले तो भिन्न-भिन्न राज्यों को अलग-अलग अनुशंसा देने का हक दीजिए फिर आप अपने यहां से परिभाषित करिए, तभी जो इस आरक्षण का स्पिरिट है और प्रधान मंत्री के नेतृत्व में जो इस विवाद का हल निकाला गया और कल्याण मंत्री की जो इस बारे में भूमिका रही वह पूरा हो पाएगी, अन्यथा बिहार पिछड़े राय के पैमाने पर पीछे चला जाएगा। बिहार सरकार ने जो क्रीमी लेअर की परिभाषा की है उसे तत्काल उच्चतम न्यायालय की पृष्ठभूमि में रद्द कराने के लिए हमारे कल्याण मंत्री जी पहल करें, यही हमारा निवेदन है।

उपसभापति: आप भी कुछ बोलेंगे, उन्होंने इतना विस्तार से बोला है?

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार): महोदया, हम सिर्फ अपने आपको डा० जगन्नाथ मिश्र जी के वक्तव्य के साथ और उनके विचारों के साथ सम्बद्ध करना चाहते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के मुख्य मंत्री का उद्देश्य साफ है कि जो उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार का आरक्षण के लिए आदेश है उसको वह विफल करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि लालू सरकार आरक्षण की विरोधी है और वह गरीबों और पिछड़ों के लिए क्रोकोडाइल टीयर्ज़ बहाते हैं। यहां पर कल्याण मंत्री बैठे हैं। मैं मांग करता हूं कि एक उच्च स्तरीय टीम वहां भेजकर इस बात की जांच करवाएं कि जो रिपोर्ट क्रीमी लेअर के लिए वहां है उस रिपोर्ट में क्या किसी सदस्य ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है या नहीं, किसी से जबर्दस्ती दस्तखत करवाए गए हैं या नहीं। वह पूरी बात की छानबीन करे और जांच करे कि वहां जो क्रीमी लेअर की वहां जो परिभाषा दी गई है वह परिभाषा इनकी अनुशंसाओं के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है या नहीं।

डा० जगन्नाथ मिश्र: मंत्री महोदय, यह अत्यन्त ही नीति संबंधी मामला है, भारत सरकार का फैसला है, उच्चतम न्यायालय का फैसला है। कोई राज्य सरकार इस तरह से इसको फ्लॉप कर रही है और रिज़र्वेशन का साफ परपज़ डिफीट कर रही है। इसलिए हम कल्याण मंत्री जी से चाहते हैं कि हमको और सारे देश को आश्वस्त करें कि किसी राज्य सरकार को मंडल आयोग को दूषित करने का हक या अधिकार नहीं हो सकता है, इतना आश्वासन हम कल्याण मंत्री जी से चाहते हैं?

हम यह भी चाहते हैं कि पिछड़ों और पिछड़ों को परिभाषित करने के लिए जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है, उसके प्रसंग में उन्होंने क्रीमी लेअर तो परिभाषित कर दिया है, लेकिन अब दो और को परिभाषित करना है, उसके लिए कब वह कमेटी बनायेंगे और पिछड़ों का

वर्गीकरण कब तक वह पूरा करेंगे। इतना आश्वासन वह हमको दें?

उपसभापतिः कल्याण मंत्री जी ने पिछड़े वर्गों के लिए जितनी कोशिश की है वह सब को पता है। इसलिए अब आप बैठिए।

डा॰ जगन्नाथ मिश्रः वही गड़बड़ हो रहा है। इन्हीं का जो उद्देश्य है, जो इनका कमिटमेंट है और हमारे प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी का जो कमिटमेंट है पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए वही डिफीट हो रहा है, पीछे जा रहा है। इससे वह हमें संरक्षण दें।

उपसभापतिः कल्याण मंत्री जी ने इस बारे में जितना काम किया है, कोशिश की है वह आप सबको मालूम है और आप भी अभी यहां विस्तार से बोले है, वह भी उन्होंने सुना है। इसके अलावा मैं समझती हूं कि चूंकि वह खुद ही बिहार से आते हैं और उन्होंने इस बारे में भी सुन लिया है, अब अगर वह कुछ कहना चाहेंगे तो मैं मना नहीं करूंगी और नहीं कहना चाहेंगे तो मजबूर नहीं करूंगी।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The Constitution Amendment bill for providing 69 per cent reservation for Tamil Nadu is also to be brought.

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): माननीय उपसभापति महोदया, यद्यपि उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि भारत सरकार की नीति स्पष्ट है और 8 सितम्बर, 1993 को हमने सारी नीति घोषित कर दी है उसके अंतर्गत क्रीमी लेयर में यह हुआ कि क्रीमी लेयर के लोग जोकि इस लायक नहीं हैं, जोकि संपन्न हैं, जो लोग मलाईदार हैं, उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि पिछड़े वर्ग में जो योग्य हैं, उन्हें भी उसमें हमने साफ कर दिया है, क्रीमी लेयर में जो मलाईदार है और नहीं मलाईदार है। उसका अर्थ भी गरीब और अमीर का है। फिर भी जगन्नाथ मिश्र जी ने जिन मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों पर विचार करेंगे। फिर जैसाकि उन्होंने कहा यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर कोई निर्णय बिहार सरकार ने लिया है, यह दुखद बात है चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही हमने मण्डल कमीशन की नीति को इम्प्लीमेंट किया है और सबसे खुशी की बात है कि जिस मण्डल कमीशन की घोषणा के अवसर पर 7 अगस्त को जो भयंकर परिस्थिति 1990 में पैदा हुई, उसी मण्डल कमीशन पर जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया तो वह सारे अलाइड—सवर्ण जाति हो चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, सभी ने इसका स्वागत किया। अब इसमें अगर कोई दखल देते हैं तो मैं समझता हूं कि यह समाज और राष्ट्र के सामाजिक जीवन में तहलका मचाने का एक गलत तरीका है। उपसभापति महोदया, फिर भी जो बात उन्होंने कही है, उस पर हम विचार करेंगे।

Re. Damage to Paddy, Cotton and other Crops due to insect diseases in Northern India

SHRI S.S. SURJEWALA (Haryana): Madam Deputy Chairperson, I want to raise an issue which requires the urgent attention of the Government of India and the concerned State Governments. It is that the standing crops of paddy, cotton and soon are being threatened by certain insect diseases. Madam, the very good monsoon has brought- cheers and good luck in the country, but a continuous and long spcil of cloudy weather, humidity and low temperature has resulted in widespread insect diseases—leaf hopper in paddy, jassid and white fly in cotton and stem borer in jowar, and so on-which are affecting the standing crops of paddy, cotton, jowar, etc. in the Northern parts of India, namely, Punjab, Haryana, Delhi, Western Uttar Pradesh and Rajasthan. Although the farmers are repeatedly spraying their crops to save them from these diseases, the spray is not going to help in eradicating these diseases. Even though the crops this time are very good, they are being threatened because of these diseases. On account of these diseases, the standing crops a[r]e going to yield decreased production. Through this Special Mention, I want the Govenrment of India and the State Government to immediately arrange for an aerial spray on the standing crops so that the insects causing the diseases and damaging the standing crops can be killed. I want the Government of India and the State Government to come to the rescue of the farmers by extending financial and other assistance. I am sorry to state that the Government of India has time and again been announcing that they are going to introduce the crop insurance scheme. So far, nothing has been done. I think it is